

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 22/2024

1. दयानन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
2. राकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
3. सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
4. विक्रम पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्त—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनू दिनांक 29.04.2022 बअदालत नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी सरकार बनाम दयानन्द वगैरह अ0 धारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 61/2022 आदेश दिनांक 29.04.2022।

उपस्थिति:—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट.....अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक : 26.5.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्त को जमीन हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.85 हैक्टर सरहद मौजा रायपुर अहीरान में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमीन खसरा नम्बर 177 की किस्म कभी भी गैर मुमकिन जोहड़ नहीं रही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 29.04.2022 को विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर पुराने समय से सघन आबादी बसी हुई है। जो हलका पटवारी द्वारा दिनांक 02.02.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट से भी साबित होता है। विवादित आराजी में बहुत से मकानात बने हुए हैं। उक्त भूमि घनी आबादी भूमि है अपीलांट ने बिजली पानी का कनेक्शन भी ले रखा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2022 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 मुकदमा संख्या 61/2022 उनवानी सरकार बनाम दयानन्द वगैरह अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।